43
(33)

# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक / बैठक / 2009 / जो/वि.प्रा/आयोजना/ 965-93 दिनांक : 30 अप्रैल, 2009

## जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2009 का कार्यवाही विवरण

कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक श्री गौरव गोयल, आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में 17 फरवरी, 2009 को अपरान्ह 3.00 बजे उनके कक्ष में आयोजित की गयी जिसमें उपस्थित सदस्यों व अन्य अधिकारियों का नाम संलग्न परिशिष्ट संख्या 1 में अंकित है। बैठक का एजेण्डा व उन में लिये गये निर्णयों का विवरण निम्न अनुसार है:-

प्रस्ताव संख्या 1 : गत बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2009 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि

गत बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2009 के कार्यवाही विवरण का निम्न संशोधनों के साथ सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया:-

1- गत बैठक के प्रस्ताव संख्या 1 पृष्ठ संख्या 3 पर भवन मानचित्र समिति प्रथम एवं द्वितीय के संबंध में यह जोड़ा जावे कि निदेशक (आयोजना) का पद रिक्त रहने तक समिति के सदस्य सचिव उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर रहेंगे।

2- गत बैठक के प्रस्ताव संख्या 10 पृष्ठ संख्या 18 कके संबंध में विभिन्न न्यायालयों के आदेशों से जिन भूखण्डधारियों को पूर्व में न्यास/प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड आवंटन किये गये थे परन्तु कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया, उन्हें कब्जा सुपुर्द करने एवं यदि कब्जा सुपुर्द करना संभव नहीं हो तो अन्य स्थान पर वैकल्पिक भूखण्ड उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया था। बैठक में प्रभारी अधिकारी विधि शाखा द्वारा ऐसे 21 प्रकरण प्रस्तुत किये गये। तत्कालीन न्यास की बैठक दिनांक 1 फरवरी, 2007 के प्रस्ताव संख्या 6- कीर्तिनगर योजना सेक्टर बी को ड्रोप कर अन्यत्र वैकल्पिक आवंटन करने के निर्णय को भी प्रस्तुत किया गया था।

गत बैठक में यह निर्णय किया गया था कि भूखण्ड एक्सचेंज के अधिकार प्राधिकरण में निहित है। अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जावे।

प्रभारी अधिकारी विधि शाखा द्वारा प्रस्तुत 21 प्रकरणों में से 12 प्रकरण कीर्तिनगर सेक्टर बी के एवं 9 प्रकरण अन्य थे। हाल ही में प्राधिकरण द्वारा जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच में निर्णीत प्लॉट संख्या जी-21 पूर्वी पाल रोड योजना में मौके पर गुदाम लगाकर प्रार्थी को भूखण्ड भूखण्ड का कब्जा प्रस्तावित किया है एवं तदनुसार ही न्यायालय में पालना पेश की गई है।

यह निर्णय किया गया कि प्राधिकरण का प्रथम प्रयास मूल भूखण्ड का कब्जा दिलवाना होना चाहिए। चूंकि कीर्तिनगर सेक्टर-बी के संबंध में तत्कालीन न्यास द्वारा पुरानी आबादी भूमि को न्यास योजना में गलत समाहित किये जाने के कारण सेक्टर-बी को डी नोटिफाई करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, कीर्तिनगर सेक्टर बी के 12 प्रकरण सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जांच कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखेंगे। कीर्तिनगर सेक्टर-बी के अतिरिक्त शेष 9 प्रकरण में मौके पर अतिक्रमण हटाकर माननीय न्यायालयों के निर्णय अनुसार मूल भूखण्ड का ही कब्जा



PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

दिलवाने का प्रयास किया जावे। यदि मूल भूखण्ड पर कब्जा देना संभव नहीं है तो अन्यत्र भूखण्ड दिये जाने पर विचार किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 2 — 1– 100.00 करोड रूपये के ऋण के संबंध में
2– 20.00 करोड रूपये की लिमिट लेने हेतु।

1– बैठक मे प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की गयी। सचिव ने जानकारी दी कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 जनवरी, 2009 के प्रस्ताव संख्या 12 (8) के सदर्भ मे अध्यक्ष महोदया का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमाक 5 दिनाक 14 जनवरी, 2009 से राज्य सरकार से 100.00 करोड रूपये के रिवालिंग फण्ड या अनुदान हेतु अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार ने इस संबंध मे 100.00 करोड रूपये ऋण के प्रस्ताव भिजवाने हेतु प्राधिकरण को लिखा। प्राधिकरण कार्यालय स्तर से 100.00 करोड रूपये के ऋण के प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया गया है। जो राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

2– प्राधिकरण की तात्कालिक वित्तीय समस्या के समाधान हेतु इस प्रस्ताव पर विचार किया गया कि 20.00 करोड रूपये के ओवरड्राफट की सुविधा ली जावे। यह ओवरड्राफट की सुविधा प्राधिकरण के लिए स्थाई मिलने वाली सुविधा होगी जिस पर आवश्यकतानुसार राशि निकाली जा सकेगी साथ ही राशि की उपलब्धता होने पर इसी खाते मे राशि जमा होती रहेगी जिससे प्राधिकरण पर ब्याज का भार नहीं पडेगा।

विभिन्न बैंको से ओवरड्राफट प्राप्त करने के संबंध मे प्रस्ताव प्राप्त किये गये। एच0डी0एफ0सी0 बैंक, बैंक ऑफ राजस्थान, यूको बैंक व बैंक ऑफ बडौदा के प्रस्ताव प्राप्त हुए है। जो इस कार्यवाही के परिशिष्ट–2 पर सलग्न है। चूंकि प्राधिकरण अधिनियम की धारा 57 के अनुसार राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करके ही ऋण अथवा क्रेडिट लिमिट प्राप्त की जा सकती है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को 20.00 करोड रूपये के ओवरड्राफट की स्वीकृति एवं गारण्टी प्रदान करने हेतु पत्र भिजवाया जावे साथ ही 100.00 करोड रूपये ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति हेतु भी अनुरोध किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 — नीलामी बोलियो का अनुमोदन

प्रभारी अधिकारी, नीलामी ने जानकारी दी कि पिछली कार्यकारी समिति की बैठक से आज की बैठक के मध्य निम्नलिखित सूची में अंकित अनुसार नीलामी की गयी है एवं इन भूखण्डो की 1/4 राशि जमा है तथा शेष 3/4 राशि अनुमोदन के पश्चात् प्राप्त की जानी है। नीलामी की दरे डी0एल0सी0 दर आरक्षित दर से अधिक है एव प्रचलित बाजार दरो के अनुरूप है।

| क्र.स. | योजना का नाम | नीलामी दिनांक | किस्म | भूखण्ड संख्या | क्षेत्रफल वर्गमीटर | वर्तमान उच्चतम दर | पूर्व दर | कुल नीलामी राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] सेक्टर-4 ई शास्त्रीनगर | 5 Nov. 2007 | व्यावसायिक भूखण्ड | 66 | 83-61 | 53,100/- Sq Mtr | -- | 44,39,691.00 |
| 2 | सरस्वती नगर सेक्टर सी | 19 Feb. 2009 | [illegible] भूखण्ड | [illegible] | 63-06 | 3,010/- Sq Mtr | -- | 3,30,460.00 |
| 3 | खसरा संख्या 178/1 ग्राम [illegible] रोड | 20 Feb. 2009 | व्यावसायिक भूखण्ड | 39 | 49-93 | 21,000/- Sq Mtr | 7150/- Sq. Mtr | 10,43,530.00 |
| 4 | खसरा संख्या 178/1 ग्राम [illegible] रोड | 20 Feb. 2009 | व्यावसायिक भूखण्ड | 39 | 80-12 | 18,000/- Sq Mtr | 7150/- Sq Mtr | 14,42,160.00 |
| 5 | सरस्वती नगर | 23 | आवासीय [illegible] | 165 | 74-32 | 20,500/- | 22,600/- | 15,23,560.00 |



PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर | March, 2009 | | | | Sq. Mtr | Sq. Mtr | |
| 6 | कीर्तिनगर सेक्टर सी. | 25 March, 2009 | व्यावसायिक | 31 | 250-00 | 6500/- Sq. Mtr | -- | 16,25,000.00 |
| 7 | कीर्तिनगर सेक्टर सी | 25 March, 2009 | व्यावसायिक | 32 | 250-00 | 6700/- Sq. Mtr | -- | 16,75,000.00 |
| 8 | कीर्तिनगर सेक्टर सी | 25 March, 2009 | व्यावसायिक | 235 | 83-61 | 5300/- Sq. Mtr | -- | 4,43,133.00 |
| 9 | कीर्तिनगर सेक्टर सी. | 25 March, 2009 | व्यावसायिक | 245 | 83.61 | 5321/- Sq. Mtr | -- | 4,44,889.00 |
| 10 | ग्राम अखलेश्वर प्रसाद नगर सावरिया सेक्टर ए | 26 March, 2009 | 6 व्यावसायिक | 127 | 203.50 | 2810/- Sq. Mtr | 2900/- Sq Mtr - 20% | 5,72,004.00 |
| 11 | ग्राम अखलेश्वर प्रसाद नगर सावरिया सेक्टर ए | 26 March, 2009 | व्यावसायिक | 128 | 242.60 | 2780/- Sq. Mtr | 2900/- Sq Mtr - 20% | 6,74,428.00 |
| 12 | खसरा नम्बर 380 ग्राम [illegible] | 31 March, 2009 | व्यावसायिक | 37 | 167-22 | 3600/- Sq. Mtr | 3225/- Sq Mtr - 20% | 6,01,992.00 |

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कीर्तिनगर सेक्टर सी योजना में दिनांक 25 मार्च 2009 को भूखण्ड संख्या 248 क्षैत्रफल 63.61 वर्ग मीटर जिसकी उच्चतम बोली रूपये 4725/- प्रति वर्ग मीटर की दर से प्राप्त हुई, जिसे जिला कलक्टर प्रतिनिधि ने उक्त दर को अन्य भूखण्ड की तुलना में कम दर मानी है इसलिए उक्त भूखण्ड की नीलामी निरस्त करने का निर्णय लिया जाकर जमा 1/4 राशि लौटाने का निर्णय लिया गया तथा शेष बोली स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

समिति ने यह भी निर्णय पारित किया कि नीलामी बोली अनुमोदन हेतु समिति के समक्षप्रस्तुत होने से राशि प्राप्त होने में विलम्ब होता है। अतः जो नीलामी बोली डी0एल0सी0 दर एवं आरक्षित दर से अधिक है, उन बोलियों को स्वीकृत करने के अधिकार The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 के नियम 17 एवं एनेक्सचर-ए की शक्तियाँ जो अध्यक्ष, न्यास में निहित हैं, ये शक्तियां आयुक्त, प्राधिकरण को प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया जाता है। आयुक्त, प्राधिकरण अपने स्तर पर नीलामी बोलियां स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होंगे।

प्रस्ताव संख्या 4 प्राधिकरण के जोन का निर्धारण।

प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि के साथ ही 4 जोन का गठन प्रस्तावित किया गया था। इन जोनों के बीच में कार्य का विभाजन किया जाना है। अतः पूर्व में प्रस्तावित विभाजित 4 जोन में कार्य का विभाजन का प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया।

कार्य में धारा 90-बी नियमन, कच्ची बस्ती नियमन, योजना एवं अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाने के प्रस्ताव समिति में विचारार्थ रखे गये। समिति ने विचार विमर्श कर कार्य विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया कि प्रत्येक जोन में उपायुक्त (जोनल अधिकारी) को धारा 90-बी, कच्ची बस्ती नियमन, योजना एवं अवैध निर्माण/अतिक्रमण



PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

हटाने के कार्य के लिए अधिकृत होंगे। अवैध निर्माण / अतिक्रमण हटाने आदि से संबंधित कार्य प्राधिकरण अधिनियम की धारा 31 से 35 के अन्तर्गत है, की शक्तियां भी उपायुक्त (जोनल अधिकारी) में निहित होगी। उपायुक्त अपने अधीनस्थ अथवा अन्य अधिकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने, अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही आदि हेतु निर्देश दे सकेंगे।

प्रस्ताव संख्या 5 :: वाम्बे योजना एवं अन्य योजनाओं में 90 दिवस पश्चात् राशि जमा कराने हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों का नियमितिकरण

वाम्बे योजना में जिन आवेदक द्वारा आवंटन के पश्चात् निर्धारित 90 दिवस की अवधि में राशि जमा नहीं करायी है उन आवेदकों के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि उनकी बकाया राशि एव शास्ती जमा कर नियमन किया जावे। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

| क्र. स. | नाम व पिता का नाम | आवंटित आवासगृह संख्या | योजना का नाम | आवंटन तिथि | आवंटन पत्र जारी करने की तिथि | प्रार्थी द्वारा नियमन कराने हेतु आवेदन की दिनांक | आवंटन–पत्र जारी से देरी की अवधि | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती [illegible] पत्नि श्री [illegible]राज | ए–68 | वाम्बे योजना | 25–1–06 | 2–5–08 | 27–2–09 | 9 माह | |
| 2 | श्रीमती सारदा पत्नि श्री श्रवण कुमार | ए 67 | वाम्बे योजना | 5–1–06 | 13–5–08 | 26–3–09 | 10 माह | |
| 3. | श्रीमती [illegible] देवी पत्नि श्री गुलाबचन्द आवेदक मनोज पुत्र स्व. श्री गुलाब चन्द ने अपने माता के मृत्यु का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर अपने नाम हस्तान्तरण कर राशि जमा कराने की मांग की है। | सी–[illegible] | वाम्बे योजना [illegible] | 25–4–06 | 10–4–07 | 17–2–09 | 11 माह | |

बैठक मे बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त आवेदकों को जिन्हें 90 दिवस से अधिक किन्तु एक वर्ष से कम का समय हुआ है एवं कार्यकारी समिति के क्षेत्र अधिकार में है इसलिए उपरोक्त आवंटियों को नियमन की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 : नीलामी बोली में 90 दिवस पश्चात् प्राप्त राशि जमा कराने के आवेदन–पत्रों पर विचार विमर्श।

नीलामी में विक्रय किये गये भूखण्डों में नीलामी स्वीकृति के 30 दिन के अन्दर समस्त राशि जमा करानी होती है। यदि एक माह में राशि जमा नहीं हुई तो 90 दिवस



PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

में ब्याज सहित जमा करायी जा सकती है इसके पश्चात् The Rajasthan Improvemennts Trust (Disposal of Urbabn Land) Rules, 1974 के नियम एनेक्सचर–ए के अनुसार 90 दिवस से एक वर्ष की अवधि में ब्याज एवं शास्ति सहित सहित नियमन किया जा सकता है। चूंकि बोलीदाता द्वारा 90 दिवस में राशि जमा नहीं करायी है तथा एक वर्ष से कम समय हुआ है इसलिए निम्नलिखित प्रकरणों मे ब्याज एवं शास्ती सहित राशि जमा कराने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये–

| क्र. सं. | नाम व पिता का नाम | भूखण्ड संख्या | योजना का नाम | नीलामी की तिथि | नीलामी स्वीकृति की तिथि | प्रार्थी द्वारा नियमन कराने हेतु आवेदन की दिनांक | नीलामी स्वीकृति से देरी की अवधि | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | श्री उम्मेदाराम बैनीवाल | 1 (व्या0) | विजय राजे नगर | 13–8–08 | 25–8–08 | 2–3–98 | 6 माह 9 दिन | |
| 2– | श्री नरेन्द्र सोलंकी | 259 | परिवहन नगर आगणवा ओटो | 22–10–08 | 12–11–08 | 16–3–09 | 4 माह | |
| 3– | श्री गणपत राम पालीवाल | 5 (व्या0) | विजय राजे नगर | 16–9–08 | 11–10–08 | 17–3–09 | 5 माह | |

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बकाया राशि ब्याज एवं शास्ती के साथ जमा कराई जाकर भूखण्ड नियमित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 : क्वालिटी कण्ट्रौल लेब की स्थापना एवं थर्ड पार्टी इन्सपेक्सन के संबंध में विचार विमर्श।

बाद विचार विमर्श समिति ने निर्णय लिया कि वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने पर इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अतः आचार संहिता समाप्त होने पर आयोजित होने वाली समिति की आगामी बैठक में प्रकरण निणयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 8 : मेसर्स नेशनल एडवरटाईजमेंट कम्पनी को बी0ओ0टी0 आधार पर यूनिपोल की स्वीकृति के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा पारित नवीनतम आदेश पर विचार विमर्श।

बाद विचार विमर्श समिति ने निर्णय लिया कि वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने पर इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अतः आचार संहिता समाप्त होने पर आयोजित होने वाली समिति की आगामी बैठक में प्रकरण निणयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 9 : गुमशुदा पत्रावली के संबध में
1– राजबाग
2– उपभोक्ता मंच

नगर विकास न्यास, जोधपुर के समय कार्यालय पत्रावलियो पर पत्रावली संख्या अंकित करने तथा रजिस्टर संधारण करने की प्रकिया नहीं अपनायी गयी थी। इस कारण पत्रावलियों के गुम होने के प्रकरण सामने आ रहे हैं। आवेदक द्वारा पत्रावली के संबंध कार्यवाही बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ऐसे प्रकरण सामने आते हैं जिनमे पत्रावली



PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(38)
118

गुम हो चुकी होती है। इन प्रकरणों के निस्तारण हेतु पत्रावलियों के पुन: बनाये जाने की आवश्यकता रहती है। अत: सदस्यों द्वारा डुप्लीकेट पत्रावलियों के संबंध में निम्न अनुसार सुझाव दिये:-

1- पत्रावली खोलने से पहले सर्च नोट जारी किया जावे।
2- अखबार में विज्ञप्ति जारी की जावे कि नई पत्रावली बनाई जा रही है किसी को कोई आपत्ति होतो प्रस्तुत करें तथा लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय करने हेतु प्रथम सूचना दर्ज करवायी जावेगी।
3- प्रत्येक कर्मचारी की शाखा में तैनातगी अवधि का विवरण स्थापन्न शाखा में संधारित किया जावे।
4- जांच अधिकारी नियुक्त कर जिम्मेदारी तय की जावे।

बिन्दु संख्या 1 से 4 की पालना होने पर डुप्लीकेट पत्रावली बनाने हेतु दस्तावेज संकलित कर कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जावे। कार्यकारी समिति गुणावगुण के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने पर विचार करेगी।

समिति ने बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त सुझावों पर विचार कर निर्णय लिया कि उपरोक्तानुसार अंकित प्रक्रिया के अनुसार डुप्लीकेट पत्रावली तैयार कर निर्णय हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष रखी जावे।

प्रस्ताव संख्या 10 (1) :: अतिक्रमण निरोधक दल को शक्तियां प्रदान करने के संबंध में।

समिति ने बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि प्राधिकरण अधिनियम की धारा 31 से 35 तक की शक्तियां उपायुक्त को प्रदत्त करने हेतु उपरोक्त प्रस्ताव संख्या 4 में निर्णय लिया जा चुका है। अत: तद्नुसार कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 10 (2) :: अधिकारियों को दूरभाष की सुविधा उपलब्ध करानें के संबंध में।

बाद विचार विमर्श समिति ने निर्णय लिया कि वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने पर इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अत: आचार संहिता समाप्त होने पर आयोजित होने वाली समिति की आगामी बैठक में प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 10 (3) :: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-10 एवं संशोधित अनुमान वर्ष 2008-09

यह प्रस्ताव प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार का है इसलिए कार्यकारी समिति इसका अनुमोदन नहीं कर सकती है। चूंकि यह तात्कालिक प्रकृति का कार्य है इसलिए जरिये परिचलन प्रस्ताव प्राधिकरण से पारित करवाया जावे।

तत्पश्चात् बैठक धन्यवाद समाप्त हुई।

(रमेशचन्द्र गुप्ता)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

क्रमांक / बैठक / 2009 / जो. वि. प्रा. / आयो / 968-93 दिनांक : 30 अप्रैल, 2009
(968-93)

प्रतिलिपि :-

01. निजी सहायक (अध्यक्ष महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
02. प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जोधपुर
05. निजी सहायक (आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
06. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
09. प्रबन्धक, निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
10. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जयपुर
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
12. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
13. प्रभारी अधिकारी

14 - प्रभारी अधिकारी LAC

15 - [illegible]

16 - [illegible]

17 - प्रभारी अधिकारी [illegible]

18 - आयोजना

19 - [illegible] विधि शाखा

20 - उप नगर नियोजक

21 - [illegible] नगर नियोजक

22 - अधिशासी अभियन्ता [illegible] JDA

23 -

24 -

25 - प्रभारी अधिकारी (आयोजना)

13A सचिव महो.

26 [illegible] JDA [illegible]

(रमेशचन्द्र गुप्ता)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(40)
50

परिशिष्ट–1

# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यकारी समिति की श्री गौरव गोयल, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित द्वितीय बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2009 में उपस्थित सदस्यों / अन्य अधिकारियों का विवरण

सदस्यगण:–

01. श्री वंशीलाल भाटी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर
02. श्री अनिल पालीवाल, आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर
03. श्री सुन्दरलाल बी. माथुर, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर प्रतिनिधि अति. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
04. श्री मोहम्मद उमर, अधीक्षण अभियन्ता, (शहर वृत) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर प्रतिनिधि मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
05. श्री एस के. कुलश्रेष्ठ, जोनल चीफ इंजिनियर, डिस्कोम, जोधपुर प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
06. श्री मनोज चौधरी, वृत्ताधिकारी (केन्द्रीय), जोधपुर प्रतिनिधि जिला पुलिस अधीक्षक (शहर) महोदय, जोधपुर
07. श्री भानुप्रताप, सहायक निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
08. श्री बंशीलाल बजाज, मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जयपुर
09. श्री खेताराम चौधरी, सहायक नगर नियोजक प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर

अन्य अधिकारी:–

10. श्री रमेशचन्द्र गुप्ता, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण,
11. श्री विनोद विरमानी, अति. मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़, विशेषाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री अनवर अली खान, विशेषाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री खान मोहम्मद खान, भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री अनिल माथुर, उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्री अरुण मेहता, अधिशाषी अभियन्ता–शहर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. श्री निरंजन माथुर, अधिशाषी अभियन्ता–सूरसागर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. श्री निहालसिंह, लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. श्री गौरवसिंह भाटी, तहसीलदार, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर



PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor